छोगाराम बनाम ताराराम
2016 / 00249
निर्णय दिनांकः–27.05.2025

सत्यमेव जयते

# न्यायालय
# सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
## धोरीमन्ना–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2016 / 00249

दर्ज तिथिः–19.10.2016

1. छोगाराम पुत्र जेताराम
2. कासूराम पुत्र जेताराम
3. केसाराम पुत्र उमेदाराम
4. पोकरराम पुत्र उमेदाराम
5. पूराराम पुत्र उमेदाराम
6. जालाराम पुत्र उमेदाराम
7. भंवराराम पुत्र उमेदाराम
8. बांकाराम पुत्र उमेदाराम

जाति सुथार निवासी विनायक नगर, पटवार हल्का उड़ासर, तहसील धोरीमन्ना

..................वादी

बनाम

1. ताराराम पुत्र शोभाराम
2. हड्डुमानराम पुत्र शोभाराम
3. चुनाराम पुत्र शोभाराम
4. मांगाराम पुत्र शोभाराम
5. नवलाराम पुत्र शोभाराम
6. समदा पत्नी शोभाराम
7. रेखाराम पुत्र रावताराम
8. रिड़मलराम पुत्र रावताराम
9. चम्पा पत्नी रावताराम
10. हनुमानराम पुत्र चनणाराम
11. लक्ष्मी देवी पत्नी चनणाराम
12. वागाराम पुत्र खेमाराम
13. भींयाराम पुत्र खेमाराम
14. मंगीलाल पुत्र भूराराम
15. मोहनराम पुत्र भूराराम
16. भंवरी पत्नी भूराराम
17. अमेदाराम पुत्र चिमनाराम
18. चुनाराम पुत्र चिमनाराम
19. नगाराम पुत्र चिमनाराम
20. चम्पालाल पुत्र चिमनाराम
21. ओमप्रकाश पुत्र चिमनाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:28:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

छोगाराम बनाम ताराराम
2016/00249
निर्णय दिनांकः-27.05.2025

22. हेमी पत्नी चिमनाराम
23. किशनाराम पुत्र कुम्भाराम
24. सोहन पुत्र कुम्भाराम
25. माडू पत्नी कुम्भाराम
26. रासिया पुत्र गोरखाराम
जाति सुथार निवासी,विनायक नगर, पटवार हल्का उड़ासर, तहसील धोरीमन्ना

.................असल प्रतिवादीगण

27. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना

..................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः-श्री बाबूलाल विश्नोई
प्रतिवादीः- श्री देवाराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम-1955

**-:निर्णयः-**

निर्णय तिथिः-27.05.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88,53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 279 रकबा 59.18 बीघा , 279/2 रकबा 05 बिस्वा, 331 रकबा 152.10 बीघा , 331/2 रकबा 29.05 बीघा कुल रकबा 241.18 बीघा वाके ग्राम विनायक नगर,पटवार हल्का उड़ासर, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगणका हिस्सामुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:28:55 IST
Reason: Self Attested

2. वाद पत्रदर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 10 से 26 तक न्यायालय में असालतन-वकालतन उपस्थित हुए। शेष प्रतिवादीगण के सम्मन विधिवत तामील के बावजूद अनुपस्थित लिहाजा

कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

प्रतिवाद संख्या 1 से 9 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली में उभयपक्ष वकुलाय की सहमति से दावा वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादी के अनुसार वाद दिनांक 20.10.2020 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार धोरीमना को न्यायालय हाजा के पत्रांक वाचक/2020/1130 दिनांक 20.10.2020 के तहत विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार धोरीमना के पत्रांक भू.अ./2022/2105 दिनांक 26.12.2022 के तहत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा को दिनांक 27.12.2022 को प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रतिवादी वकील द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी वास्तें विभाजन प्रस्ताव पुनः प्राथमिक डिक्री अनुसार पुनः मंगवाने का प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा के पत्रांक कोर्ट/2023/521 दिनांक 27.10.2023 के तहत तहसीलदार धोरीमना से प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.10.2020 अनुसार पुनः विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार धोरीमना के पत्रांक भू.अ./2024/2604 दिनांक 14.10.2024 के संलग्न पुनःविभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा को दिनांक 03.12.2024 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर वादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्ते पुनः प्राप्त विभाजन पर घोर आपति एवं उक्त विभाजन प्रस्ताव खारिज कर पुनः निष्पक्ष रूप से मंगवाने पर उभयपक्ष विद्वान वकीलों की बहस पर बाद मनन वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तीसरी बार विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु न्यायालय हाजा के पत्रांक कोर्ट/2025/95 दिनांक 03.04.2025 के तहत तहसीलदार धोरीमना को तहरीर जारी की गई जिसकी पालना में तहसीलदार धोरीमना के पत्रांक भू.अ./2024/959 दिनांक 15.04.2025 के तहत न्यायालय हाजा को प्राप्त हुआ। उक्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15.04.2025 पर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी जिस पर वादीगण वकील द्वारा विभाजन प्रस्ताव अनुसार बंटवारा करने पर अपनी सहमति जाहिर की तथा प्रतिवादीगण वकील द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता वास्ते विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12/13.04.2025 पर आपति प्रस्तुत कर प्राथमिक डिक्री अनुसार विभाजन प्रस्ताव पुनः मंगवाने का प्रस्तुत किया जिस पर उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर बाद मनन उक्त वाद में वादी व प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र पर तीन बार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जा चुका है तथा बार—बार विभाजन प्रस्ताव मंगवाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। विभाजन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि विभाजन प्रस्ताव बनाते समय तहसीलदार धोरीमना द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 पूर्ण पालना किये जाने से प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी अर्थहीन होने से खारिज किया जाना उचित समझते है। अभिभाषकगण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी पक्ष द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./2024/336 दिनांक 11.02.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार कर प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:—

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:28:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

| प्रक्रिया हेतु प्रावधान | अपनायी गई प्रक्रिया |
|---|---|
| ***21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields.***<br>*- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.* | प्रकरण में दिनांक 12.04.2025 को तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मय पटवारी / गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। |
| प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। | 1. प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील धोरीमन्ना के नोटिस क्रमांक भू.अ. / 2025 / नोटिस / 1227–1261 दिनांक 08.04.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 12.04.. 2025 के बारे में पूर्वसूचित किया गया जाकर तामिल करवाये गए। समस्त पक्षकार मौके पर उपस्थित रहे। उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। प्रतिवादी द्वारा मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना किया। |

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2071–2074 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 279 रकबा 59.18 बीघा , 279 / 2 रकबा 05 बिस्वा, 331 रकबा 152.10 बीघा , 331 / 2 रकबा 29.05 बीघा कुल रकबा 241. 18 बीघा वाके ग्राम विनायक नगर, पटवार हल्का उड़ासर, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा– ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:28:55 IST
Reason: SelfAttested

***प्रथम– स्वामित्व एवं कब्जा:–*** प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह

SDO धोरीमन्ना

काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह– काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

***द्वितीय– सुविधा का सन्तुलनः–*** प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार हैं एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

***तृतीय– अपूरणीय क्षतिः–*** प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा–53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 279 रकबा 59.18 बीघा , 279/2 रकबा 05 बिस्वा, 331 रकबा 152.10 बीघा , 331/2 रकबा 29.05 बीघा कुल रकबा 241.18 बीघा वाके ग्प्रम विनायक नगर,पटवार हल्का उड़ासर,तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा [illegible] किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड [illegible] कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टियां दर्ज किये [illegible] के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:28:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक [illegible]
SDO धोरीमना

छोगाराम बनाम ताराराम
2016/00249
निर्णय दिनांक:-27.05.2025

| खातेदार | हिस्सा | खसरा | रकबा | किस्म | वरंग |
|---|---|---|---|---|---|
| छोगाराम पुत्र जेताराम<br>कासूराम पुत्र जेताराम<br>पोकरराम पुत्र उम्मेदाराम<br>केसाराम पुत्र उम्मेदाराम<br>पूराराम पुत्र उम्मेदाराम<br>जालाराम पुत्र उम्मेदाराम<br>भंवराराम पुत्र उम्मेदाराम<br>बांकाराम पुत्र उम्मेदाराम<br>जाति सुथार विनायक नगर | 1/3<br>1/3<br>1/18<br>1/18<br>1/18<br>1/18<br>1/18<br>1/18 | 331<br>331/2<br>279<br>279<br>279/2<br>—<br>5 | 3.7719<br>5.4147<br>0.1861<br>0.3642<br>0.0162<br>—<br>9.7531 | बा.सो.<br>बा.सो.<br>बा.सो.<br>बा.सो.<br>बा.सो.<br>—<br>बा.सो | A |
| हनुमानराम पुत्र चनणाराम<br>लक्ष्मी देवी पत्नी चनणाराम<br>वागाराम पुत्र खेमाराम<br>भीयाराम पुत्र खेमाराम<br>मांगीलाल पुत्र भूराराम<br>मोहनलाल पुत्र भूराराम<br>भंवरी पत्नी भूराराम<br>जाति सुथार विनायक नगर | 1/8<br>1/8<br>1/4<br>1/4<br>1/12<br>1/12<br>1/12 | 279<br>279<br>—<br>2 | 3.4575<br>2.2000<br>—<br>5.6575 | बा.सो.<br>बा.सो.<br>—<br>बा.सो. | B |
| अमेदाराम पुत्र चिमनाराम<br>चूनाराम पुत्र चिमनाराम<br>नगाराम पुत्र चिमनाराम<br>चम्पालाल पुत्र चिमनाराम<br>ओमप्रकाश पुत्र चिमनाराम<br>हेमी पत्नी चिमनाराम<br>किसनाराम पुत्र कूम्भाराम<br>सोहन पुत्र कूम्भाराम<br>माड़ूदेवी पत्नी कुम्भाराम<br>जाति सुथार विनायक नगर | 1/7<br>1/7<br>1/7<br>1/7<br>1/7<br>1/7<br>1/21<br>1/21<br>1/21 | 331 | 5.7225 | बा.सो. | C |
| रासूराम पुत्र गोरखाराम<br>जाति सुथार विनायक नगर | पूर्ण | 331<br>279<br>279<br>—<br>3 | 3.3753<br>1.3472<br>1.0000<br>—<br>5.7225 | बा.सो.<br>—<br>बा.सो. | D |
| ताराराम<br>,हनुमानराम,चुनाराम,मांगाराम,नवलाराम<br>पिता शोभाराम<br>समदा पत्नी शोभाराम<br>रेखाराम ,रिड़मलराम पुत्र रावताराम<br>जाति सुथार विनायक नगर | पूर्ण | 331<br>[illegible]<br>279<br>—<br>3 | 9.7690<br>1.3672<br>0.9552<br>—<br>12.0914 | बा.सो.<br>—<br>बा.सो. | E |

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:28:55 IST
Reason: SelfAttested

छोगाराम बनाम ताराराम
2016 / 00249
निर्णय दिनांकः–27.05.2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| सामलाती रास्ता हेतु | | 279 | 0.2104 | बा.सो. | F |
| | | 1 | 0.2104 | बा.सो. | |

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

27/5/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:28:55 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

# सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

**धोरीमन्ना—बाड़मेर**

(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2016/00249

दर्ज तिथिः—19.10.2016

1. छोगाराम पुत्र जेताराम
2. कासूराम पुत्र जेताराम
3. केसाराम पुत्र उमेदाराम
4. पोकरराम पुत्र उमेदाराम
5. पूराराम पुत्र उमेदाराम
6. जालाराम पुत्र उमेदाराम
7. भंवराराम पुत्र उमेदाराम
8. बांकाराम पुत्र उमेदाराम

जाति सुथार निवासी विनायक नगर, पटवार हल्का उड़ासर, तहसील धोरीमन्ना

..................वादी

बनाम

1. ताराराम पुत्र शोभाराम
2. हड़ुमानराम पुत्र शोभाराम
3. चुनाराम पुत्र शोभाराम
4. मांगाराम पुत्र शोभाराम
5. नवलाराम पुत्र शोभाराम
6. समदा पत्नी शोभाराम
7. रेखाराम पुत्र रावताराम
8. रिड़मलराम पुत्र रावताराम
9. चम्पा पत्नी रावताराम
10. हनुमानराम पुत्र चनणाराम
11. लक्ष्मी देवी पत्नी चनणाराम
12. वागाराम पुत्र खेमाराम
13. भींयाराम पुत्र खेमाराम
14. मंगीलाल पुत्र भूराराम
15. मोहनराम पुत्र भूराराम
16. भंवरी पत्नी भूराराम
17. अमेदाराम पुत्र चिमनाराम
18. चुनाराम पुत्र चिमनाराम
19. नगाराम पुत्र चिमनाराम
20. चम्पालाल पुत्र चिमनाराम
21. ओमप्रकाश पुत्र चिमनाराम
22. हेमी पत्नी चिमनाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:28:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

छोगाराम बनाम ताराराम
2016/00249
निर्णय दिनांकः—27.05.2025

23. किशनाराम पुत्र कुम्भाराम
24. सोहन पुत्र कुम्भाराम
25. माडू पत्नी कुम्भाराम
26. रासिया पुत्र गोरखाराम
जाति सुथार निवासी,विनायक नगर, पटवार हल्का उड़ासर, तहसील धोरीमन्ना

..................असल प्रतिवादीगण

27. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना

...................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः—श्री बाबूलाल विश्नोई
प्रतिवादीः— श्री देवाराम चौधरी
राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम—1955

<u>—:पर्चा डिक्रीः—</u>

दावा वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा—53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 279 रकबा 59.18 बीघा , 279/2 रकबा 05 बिस्वा, 331 रकबा 152.10 बीघा , 331/2 रकबा 29.05 बीघा कुल रकबा 241.18 बीघा वाके ग्रम विनायक नगर,पटवार हल्का उड़ासर,तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।

| खातेदार | हिस्सा | खसरा | रकबा | किस्म | बरंग |
|---|---|---|---|---|---|
| छोगाराम पुत्र जेताराम | 1/3 | 331 | 3.7719 | बा.सो. | A |
| कासूराम पुत्र जेताराम | 1/3 | 331/2 | 5.4147 | बा.सो. | |
| पोकरराम पुत्र उम्मेदाराम | 1/18 | 279 | 0.1861 | बा.सो. | |
| केसाराम पुत्र उम्मेदाराम | 1/18 | 279 | 0.3642 | बा.सो. | |
| पूराराम पुत्र उम्मेदाराम | 1/18 | 279/2 | 0.0162 | बा.सो. | |
| जालाराम पुत्र उम्मेदाराम | 1/18 | | | | |
| भंवराराम पुत्र उम्मेदाराम | 1/18 | 5 | 9.7531 | बा.सो | |
| बांकाराम पुत्र उम्मेदाराम | 1/18 | | | | |
| जाति सुथार विनायक नगर | | | | | |
| हनुमानराम पुत्र चनणाराम | 1/8 | | | | |
| लक्ष्मी देवी पत्नी चनणाराम | 1/8 | 279 | 3.4575 | बा.सो. | B |
| वागाराम पुत्र खेमाराम | 1/4 | 279 | 2.2000 | बा.सो. | |
| भीयाराम पुत्र खेमाराम | 1/4 | | | | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:28:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

छोगाराम बनाम ताराराम
2016/00249
निर्णय दिनांकः–27.05.2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मांगीलाल पुत्र भूराराम<br>मोहनलाल पुत्र भूराराम<br>भंवरी पत्नी भूराराम<br>जाति सुथार विनायक नगर | 1/12<br>1/12<br>1/12 | 2 | 5.6575 | बा.सो. | |
| अमेदाराम पुत्र चिमनाराम<br>चूनाराम पुत्र चिमनाराम<br>नगाराम पुत्र चिमनाराम<br>चम्पालाल पुत्र चिमनाराम<br>ओमप्रकाश पुत्र चिमनाराम<br>हेमी पत्नी चिमनाराम<br>किसनाराम पुत्र कूम्भाराम<br>सोहन पुत्र कूम्भाराम<br>माडूदेवी पत्नी कुम्भाराम<br>जाति सुथार विनायक नगर | 1/7<br>1/7<br>1/7<br>1/7<br>1/7<br>1/7<br>1/7<br>1/21<br>1/21<br>1/21 | 331 | 5.7225 | बा.सो. | C |
| रासूराम पुत्र गोरखाराम<br>जाति सुथार विनायक नगर | पूर्ण | 331<br>279<br>279 | 3.3753<br>1.3472<br>1.0000 | बा.सो. | D |
| | | 3 | 5.7225 | बा.सो. | |
| ताराराम ,हनुमानराम,चुनाराम,मांगाराम,<br>नवलाराम पिता शोभाराम<br>समदा पत्नी शोभाराम<br>रेखाराम ,रिड़मलराम पुत्र रावताराम<br>जाति सुथार विनायक नगर | पूर्ण | 331<br>331/2<br>279 | 9.7690<br>1.3672<br>0.9552 | बा.सो. | E |
| | | 3 | 12.0914 | बा.सो. | |
| सामलाती रास्ता हेतु | | 279 | 0.2104 | बा.सो. | F |
| | | 1 | 0.2104 | बा.सो. | |

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

यह डिक्री आज दिनांक 27.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर सुनाया गया।

27/5/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:28:55 IST
Reason: SelfAttested